E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2019; 1(1): 10-12
Received: 08-05-2019
Accepted: 12-06-2019

दुर्गेश कुमार
शोध छात्र (राजनीति विज्ञान)
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

Corresponding Author:
दुर्गेश कुमार
शोध छात्र (राजनीति विज्ञान)
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

दुर्गेश कुमार

सारांश
शिक्षा जीवन की सफलता का द्वार हैं। यह उन साधनों में एक है जो लोगों को विषमताओं के प्रति, विषमताओं के सृजन और अंततः पुनरोदय के प्रति सचेत बनाते हैं तथा समाज में समता का विकास करते है। शिक्षा के महत्व को सभी लोग महसूस नहीं करते। कुछ लोगों ने शिक्षा के लिए किए गए प्रावधानों को अपना एकाधिकार बना रखा है। दूसरे लोग इस समूह में शामिल होने से भयभीत है तथा अपनी शिक्षा पाने की क्षमता को लेकर संदिग्ध हैं। माना जाता है कि शिक्षा व्यक्तियों और समूहों के जीवन में गुणात्मक अंतर लाती है।

मूल शब्दः– शिक्षा, संविधान संसोधन, अनिवार्य शिक्षा एवं महाभारत।

प्रस्तावना
शिक्षा के प्रावधानों तथा हरेक व्यक्ति के शिक्षा के अधिकार संबंधी सूचनाओं के जरिए सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आशा की जाती है कि शिक्षा की मांग बढ़ेगी। यह चेतना स्वयं शिक्षा–प्रक्रिया से लाई जा सकती हैं समता के आधार पर सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के साधन और उपाय निकालना सरकारों तथा इन्सानी मामलों से संबंधित लोगों के सबसे महत्वपूर्ण दायित्वों मे से एक हैं। इस प्रकार अन्तोगत्तवा बराबरी और विकास लाने के लिए की जिस भावना के तहत् शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, उसे पाने के लिए गुणवत्ता के फर्क को भी मिटाना होगा नहीं तो यह शिक्षा का अधिकार केवल कागजी अधिकार बनकर ही रह जाएगा।
शिक्षा, व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति के साथ–साथ सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए भी आवश्यक है 'सुभाषित रत्न दोष' में उल्लिखित है कि ''ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है तथा यही कार्य करने की विधि बताता है''
महाभारत महाकाव्य में भी वर्णित है कि ''विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं है,''कहा गया है कि शिक्षा विनय प्रदान करती है, विनय से पात्रता आती है, धन से धर्म तथा अन्ततोगत्वा सुख प्राप्त होता है।

प्राचीन ग्रन्थों में विद्या का महत्व निम्नांकित श्लोक से स्पष्ट समझा जा सकता है–

''न चौर हार्य न च भ्रातृ भाज्यं,
न राजहार्य न च भार कारिः
व्यये कृते वर्धत एवं नित्यं,
विद्या धनं सर्वधन प्रधानम्।''

(अर्थात् न तो इसे चोर चुरा सकता है और न ही भाई इसका बँटवारा कर सकता है, न ही राजा इसे ले सकता है, और न ही इसका कंधे पर बोझ होता है, इसे खर्च करने पर सदा इसकी वृद्धि होती है, ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है।)
व्यक्तियों, समूहों समाजों और देशों के बीच स्पष्ट अंतर मौजूद है। ये विषमताएं भगवान ने नहीं, इन्सान ने पैदा की हैं। कुछ लोग दूसरों के अधिकारों और विशेषधिकारों को छीनकर फलते–फूलते हैं प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग दिये जाने का प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार की चेतना महत्व रखती है क्योंकि यह समाज में मनुष्य बनाना सीखने, की प्रक्रिया शुरू करती है। व्यक्तियों और समूहों के अधिकारों की चेतना पाने के लिए कुशलताओं का ज्ञान आवश्यक है। शिक्षा हमें यही अलादीन का चिराग देती हैं शिक्षा मूलतः एक साध्य के लिए साधन है। यह ऐसे अनेक अवसरों और सुविधाओं के बारे में सूचनाओं का पिटारा खोलने में मदद करती है जिनके बारे में अनपढ़ व्यक्ति जानता भी नहीं। ऐसी सूचनाओं के अभाव में व्यक्ति उन अधिकरों से वंचित कर

दिया और छला जाता है जिन्हें सरकारें और मानव जाति प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। यह जानना जरूरी है कि पढ़ना–लिखना एक जीवनपर्यन्त प्रक्रिया है हर समय सीखना शुरू करने का समय होता हैं। शिक्षा विद्यालय–महाविद्यालय के बाद समाप्त हो जाती है। यह समझना वास्तव में गलत है। शिक्षा वास्तव में एक आंदोलन है क्योंकि सरकार और समुदाय द्वारा कर्तव्य के पालन का इंतजार करके शिक्षा के अधिकार को छोड़ा नहीं किया जा सकता। ऐसे समाज में तो और भी नहीं जिसमें शिक्षा पर काफी कम खर्च किया जाता हो और प्राथमिकताएं स्पष्ट न हों।

आज विश्व में लगभग 7.5 प्रतिशत बच्चे शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित है। इसमें भारत का हिस्सा सबसे ज्यादा है। बच्चों को उनका बुनियादी शिक्षा का अधिकार अभी तक क्यों नहीं मिल पाया, इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है और न कभी गहराई में जाकर इसे जानने की कोशिश की गई। इस मुद्दे को लगातार सरकारें नजरंदाज करती रहीं। राजनीति की काली छाया के नीचे शिक्षा का अधिकार दबा रहा और यह उन गरीब वंचितों तक नहीं पहुंच पाया, जिन्हें इसकी विशेष रूप से आवश्यकता थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, शून्य से छः वर्ष आयु–वर्ग के 15 करोड़ 80 लाख बच्चे आज शिक्षा के अधिकार से वंचित है। आजादी के बाद इस बात की सख्त जरूरत थी कि शिक्षा के अधिकार के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर जांच–परख कर वंचित गरीबों तक ले जाया जाय, लेकिन हमारे देश के नीतिकारों ने यह जिम्मेदारी नहीं उठाई। शिक्षा के अधिकार के मुद्दे को हमेशा सतही तौर पर देखा गया। इसका नतीजा यह रहा कि शिक्षा से वंचित समाज, समाज की मुख्य धारा में न आ कर संपन्न समाज के लिए संसाधन बनकर रह गया। आज सबसे खराब स्थिति देश में शिक्षा व्यवस्था की है। यह आश्चर्यजनक है कि शिक्षा पाने के अधिकार को खुला आकाश देने की जगह सरकारों ने जनता पर 2 प्रतिशत शिक्षा अधिकार कर लगा दिया जबकि शिक्षा प्राप्त करना आजाद देश में सबका बुनियादी अधिकार होना चाहिए था और जिसे देने की जिम्मेदारी सरकारों को निभानी चाहिए थी।

स्वतंत्रता के बहुत पहले से भारत में निरक्षरता को विकास में बाधा के रूप मे माना गया है। सामान्यतया यह विश्वास रहा है कि निरक्षरता को काफी हद तक हटाये बिना भारत एक संगठित राष्ट्र नहीं बन सकता और अपने नागरिकों को उस कोटि का जीवन नहीं प्रदान कर सकता जिसकी उन्हें वर्षों से लालसा रही हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षा को साधारण रूप से और साक्षरता को विशेष रूप से देश की विकास प्रक्रिया में उच्च प्राथमिकता दी गई है।

शिक्षा का मूल अधिकर विशेषकर प्राथमिकता शिक्षा के अधिकार की बात मानव अधिकारों की घोषणा में से एक है किन्तु भारतीय संदर्भ में संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में घोषणा के बाद भी प्राथमिक शिक्षा को सर्व–साधारण तक नहीं पहुँचाया जा सका शिक्षा के अधिकार से वंचित बहुत बड़ा समुदाय है जिनके लिये चेतना के अभाव में अधिकारों की घोषणा निरर्थक है। महिला शिक्षा की स्थिति तो और भी अधिक दयनीय है। पिछले कुछ वर्षो से यह कोशिश है कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया जाये। परिणाम यह होगा कि न्यायालय सरकारों को इसकी व्यवस्था के लिए निर्देशित, करेगे किन्तु प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो आर्थिक संसाधन चाहिए उन्हें उपलब्ध कराना। सैद्धान्तिक मान्यता यह है कि शिक्षा का अभाव ही आर्थिक अभावों और अन्तरालों की रचना करता है। ऐसे में यदि हम समाज के बड़े समूह को सिखाने की सुविधा से दूर रखेंगे तो मानव अधिकारों की स्थापना से तो वह वर्ग स्वाभाविक रूप से ही दूर हो जायेगा।

पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था। आज समवर्ती सूची में होने के बावजूद शिक्षा–जगत से जुड़ा सारा काम–काज आमतौर पर राज्य सरकारों के भरोसे चल रहा है। यही वजह है कि देश में शिक्षा का समान विकास नहीं हो पाया और ना ही शिक्षा को समान विस्तार मिल सका। यह आश्चर्यजनक है कि आजादी के 72 वर्ष बीत जाने के बावजूद पूरे देश के लिए अभी तक कोई सर्वमान्य शिक्षा नीति नहीं बनायी जा सका है। करोड़ों बच्चों ने अभी तक स्कूल का मुंह नहीं देखा है। जो पढ़ रहे है, उन्हें दी जाने वाली शिक्षा अलग–अलग मानकों की है। जो जितना पैसा खर्च करके शिक्षा को खरीद पा रहा है, उसे उतना ही फायदा हो रहा है और जो पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है, वह शिक्षा के नाम पर राज्यों को जो अनुदान दिया करती थी उसे बंद कर दिया गया है। यह बहुत दुखद है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है।, वे सभी विश्व बैंक से मिलने वाले अनुदान के भरोसे चल रही है। इतना ही नहीं लगभग 80 फीसदी स्कूलों को विश्व बैंक की गाइडलाइन पर चलाया जा रहा है। सहज ही समझा जा सकता है कि भारत कीशिक्षा के विकास को लेकर विश्व बैंक की उदारता का क्या मतलब है। 42 वें संविधान संशोधन द्वारा इस समवर्ती सूची में लाया गया जिससे केन्द्र और राज्य दोनों ही अपने–अपने स्तर पर नियमों, कानूनों का निर्माण कर शिक्षा को बढ़ावा दे सकें। 86 वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार ने 6–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है और अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे बच्चे को शिक्षा प्रदान करें। 73 वें संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का कार्य पंचायतों को सौपा गया।

1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई जिसमें शिक्षा के विकास व निरक्षरता के उन्मूलन हेतु व्यापक नीतिगत निर्णयों पर बल दिया गया। इसमें शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान है। इसके पहले शिक्षा पर केन्द्र और राज्य का कुल व्यय मात्र 3.74 प्रतिशत ही था।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए संविधान (83 वां संशोधन), विधेयक, 1997 में छः से चौदह वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 21–ए को अन्तः स्थापित करने के लिए राज्य सभा में पेश किया गया था। विधेयक का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए मूल अधिकार प्रदान करना था। जिससे प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा अशिक्षा का उन्मूलन हो सके, लेकिन विधेयक करना 27–11–2001 को वापस ले लिया गया। इस विषय की मानव संसाधन विकास पर संसद की स्थायी समिति द्वारा समीक्षा की गयी और इस पर भारतीय विधि आयोग की रिपार्ट और स्थायी समिति की अनुशंसा पर विचार करने के बाद, नया विधेयक, संविधान (93 वां संशोधन) विधेयक, 2001 पुनः स्थापित किया गया, जो लोकसभा में 28–11–2001 को सर्व सम्मति से तथा राज्य सभा द्वारा 14–05–2002 को औपचाारिक संशोधनों के साथ पारित किया गया।

अनुच्छेद 21–ए–राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐसे ढंग से प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य , विधि द्वारा, अवधारित करे।

अनुच्छेद 45– जब तक बच्चे छः वर्ष की आयु पुरी नहीं कर लेते तब तक राज्य सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 51 (ए)(के)– 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने शिशु, प्रतिपाल्य या यथास्थिति को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए माता–पिता या संरक्षक है।

शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए संवैधानिक

कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व, उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन, जे.पी. एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश एण्ड अदर्स मे अवधारित किया था कि ''इस देश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जब तक कि वह 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता।''

इन्हीं बातों को साकार करने की दिशा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम–2009 मील का पत्थर के समान है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैः–

- बच्चों को अपने पड़ोस के विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर लेने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि अनिवार्य शिक्षा का अर्थ यथोचित सरकार के इस दायित्व के रूप में है कि वह निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगी तथा 6–14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्यतः प्रवेश दिलाना, उपस्थिति और प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लिया जाय। सुनिश्चित करेगी 'निःशुल्क' से तात्पर्य यह है कि अब किसी भी बच्चे को ऐसा कोई भी शुल्क या प्रभार नहीं देना होगा जिसका भुगतान न कर पाने पर वह प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने से वंचित रह जाए।
- प्रवेश से वंचित प्रत्येक बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश मिलेगा।
- उचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा अभिभावको द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के मामले में प्रत्येक के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का सुस्पष्ट निर्धारण कर दिया गया हैं।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था पर आने वाले कुल व्यय का 60 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत भाग सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- विद्यालयों में शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, विद्यालय भवन तथा आधारिक अव–संरचना, विद्यालय के कार्य दिवसों शिक्षकों के कार्य घण्टों आदि से सम्बन्धित मानकों का निर्धारण कर दिया गया है।
- विद्यालयों के शिक्षा को दशकीय जनगणना, स्थानीय निकायों–राज्य विधान सभाओं –लोक सभा के निर्वाचन तथा आपदा राहत कार्यों से इतर अन्य कार्यो में नहीं लगाया जाएगा।
- विद्यालयों में बच्चों को शारीरिक दण्ड देने तथा उनका मानसिक उत्पीड़न करने प्रवेश प्रक्रिया में बच्चों का परीक्षण करने प्रवेश हेतु मोटी–मोटी धनराशि वसूलने अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन पढ़ाने, बिना मान्यता के विद्यालय चलाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है।
- 'केपीटेशन' शुल्क लेने पर लिए गए शुल्क का दस गुना अर्थिक दण्ड लगाया जाएगा।
- प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार की परीक्षा या स्क्रीनिंग का दोषी पाए जाने पर पहली बार 25,000 रूपए तथा उसके बाद प्रत्येक मामले में 50,000 रूपए का आर्थिक दण्ड।
- बिना मान्यता के विद्यालय चलाने पर संचालको पर एक लाख रूपए का आर्थिक दण्ड तथा दोष सिद्ध होने पर भी विद्यालय चलाते रहने पर 10,000 रूपया प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड।
- सिखाने की बाल मित्रवत् एवं बाल केन्द्रित प्रणाली विकसित करके बच्चों में बिना किसी भय एवं आशंका के ज्ञान, सम्भाव्यता तथा उनके बौद्धिक स्तर के विकास हेतुं संविधान मे निहित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना।
- बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने के अधिकार के अनुश्रवण एवं संरक्षण तथा शिकायतों की सुनवाई बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु गठित राष्ट्रीय तथा राज्य आयोगों द्वारा की जाएगी जिन्हें नागरिक न्यायालयों के अधिकार प्राप्त होंगे।
- सरकार द्वारा प्रायोजित निजी विद्यालयों को प्रत्येक कक्षा के एक–चौथाई स्थान समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गो के बच्चों के लिए आरक्षित रखने होंगे।
- निजी असहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर अन्य सभी विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा प्रबन्धित होंगे, इस समिति के 75 प्रतिशत सदस्य शिक्षारत् विद्यार्थियों के अभिभावक और संरक्षक होगें।
- सरकारी विद्यालयों को छोड़कर अन्य सभी विद्यालयों को तीन वर्ष के भीतर मानकों एवं प्रावधानों को पूरा करते हुए सरकार से मान्यता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा वे बन्द कर दिये जायेगे।

इस प्रकार संविधान का 86 वाँ संशोधन शिक्षा पाने के अधिकार से सम्बन्धित कानून समावेशाी विकास के लक्ष्य को पाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। अभिजात वर्ग की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुके निजी विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा में 25 प्रतिशत स्थान निर्धन बच्चों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान तथा इन निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था से समाज के कमजोर एवं साधनहीन वर्गो के बच्चों को अपना भविष्य सँवारने का सुअवसर प्राप्त होगा तथा आने वाले दिनों में धनवानों निर्धनों के बीच की खाई पाटने में सहायता मिलेगी।

सन्दर्भ

1. अग्रवाल, डॉ. एच.ओ, मानव अधिकार सेन्ट्रल लॉ पबिलकेशन्स, प्रयागराज।, 2016,
2. शर्मा, ब्रजकिशोर, भारत का संविधानः एक परिचय, फिल लानिंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।, 2010
3. गुप्ता, एस. वी. भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएँ, शारदापुस्तक भवन, प्रयागराज।
4. सैनी, डॉ0 राम सिंह समकालीन परिप्रेक्ष्य में मानवधिकारों के विविधि आयाम, गगनदीप पब्लिकेशन्स दिल्ली।, 2007
5. चतुर्वेदी, डॉ0 अरुण, भारत में मानव अधिकार, पंचशील प्रकाशन जयपुर, 2005
6. बसु, दुर्गादास, ह्यूमनराइट्स इन कान्सट्टीयूशनल, Laxis Nexis Butterworth wadhwa Nagpur. 1994
7. कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2006
8. योजना सितम्बर 2016